



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)  
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 1689-पारे०अनु०-16/पाद्राकालि-2015-01/2014

दिनांक: 25 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय ज्ञाप सं०-03-वे०प्र०-03-वे०प्र०-30/पाकालि/2002-17-वे०प्र०(30)/2002 दिनांक 02 जनवरी, 2003 एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों जिन्हें कार्यालय ज्ञाप सं०-370-वे०प्र०-30/पाकालि /2004-17वे०प्र० (30)/2002 दिनांक 20 अक्टूबर, 2004 द्वारा साईकिल भत्ता रू० 50/- प्रतिमाह अनुमन्य है, उन्हें दिनांक 04.07.2015 से रू० 100/- प्रतिमाह की दर से साईकिल भत्ता अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. साईकिल भत्ता की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत परिषद्/कारपोरेशन आदेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 1689(i)-पारे०अनु०-16/पाद्राकालि-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक से सम्बद्ध निजी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशन लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
3. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर- I/स्तर- II), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ/मेरठ/आगरा /इलाहाबाद।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
7. समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
8. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
9. श्री पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार गुप्ता)  
कार्य० अपर सचिव (पारेषण)